रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17012025-260280
CG-DL-E-17012025-260280

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 16, 2025/पौष 26, 1946
No. 34]	NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 16, 2025/PAUSHA 26, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 05/2025- केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 38(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), (3) और (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017- केन्द्रीय कर (दर), जिसे सा.का.नि 690 (अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) *स्पष्टीकरण* से संबंधित पैरा 4 में, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, -

(क) खंड (xxxv) को हटा दिया जाएगा;

(ख) खंड (xxxvi) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" (xxxvi) किसी वित्तीय वर्ष के लिए "विशिष्ट परिसर" से अभिप्रेत है,-

(क) ऐसा परिसर जहां से आपूर्तिकर्ता ने पिछले वित्तीय वर्ष में ऐसी 'होटल आवास' सेवा प्रदान की है, जिसमें आवास की किसी इकाई की आपूर्ति का मूल्य प्रति इकाई प्रति दिन सात हजार पांच सौ रुपये से अधिक या समतुल्य है; या

(ख) ऐसा परिसर जिसके लिए 'होटल आवास' सेवा प्रदान करने वाले पंजीकृत व्यक्ति ने पिछले वित्तीय वर्ष की पहली जनवरी या उसके बाद तथा 31 मार्च से पूर्व उक्त परिसर को विशिष्ट परिसर घोषित किया है; या

(ग) ऐसा परिसर जिसके लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति ने पंजीकरण आवेदन के लिए पावती प्राप्त करने के पंद्रह दिनों के भीतर उक्त परिसर को विशिष्ट परिसर घोषित किया है;";

(ii) अनुबंध VI के पश्चात् निम्नलिखित अनुबंध अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"अनुबंध VII

पंजीकृत व्यक्ति के लिए ऑप्ट-इन घोषणा

(खंड 4(xxxvi) देखें)

होटल आवास सेवा प्रदान करने वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरी के समक्ष परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने की घोषणा।

संदर्भ संख्या-

दिनांक: -

1. मैं/हम ……………… (व्यक्ति का नाम) यह घोषणा करते हैं कि …………(पता)……………..… पर स्थित परिसर वित्तीय वर्ष ……………(वाइवाइवाइवाइ-वाइवाइ)…………. के लिए 'विशिष्ट परिसर' होगा।

2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा ऊपर (1) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण वित्तीय वर्ष पर लागू होगी और बाद के वित्तीय वर्षों पर भी लागू होती रहेगी, जब तक कि मैं/हम **अनुबंध** IX में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

विधिक नाम: -

जीएसटीआईएन: -
पैन नंबर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:
(दिनांकित पावती)

नोट:

1. किसी वित्तीय वर्ष के लिए परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने वाली उपरोक्त घोषणा, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च से पहले दाखिल की जाएगी।

2. उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।

अनुबंध VIII

पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए ऑप्ट-इन घोषणा

(खंड 4(xxxvi) देखें)

क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरी के समक्ष पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने की घोषणा।

संदर्भ संख्या-

दिनांक: -

1. मैं/हम …………………. (व्यक्ति का नाम) ने एआरएन संख्या …………………. के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ………(पता)………… पर स्थित परिसर पंजीकरण की प्रभावी तिथि से वित्तीय वर्ष के अंत तक 'विशिष्ट परिसर' होगा।

2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा आगामी वित्तीय वर्षों पर भी लागू होगी, जब तक कि मैं/हम **अनुबंध** IX में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

विधिक नाम: -
एआरएन: -
पैन नंबर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:
(दिनांकित पावती)
नोट: उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।

अनुबंध IX

ऑप्ट-आउट घोषणा

(खंड 4 (xxxvi) देखें)

होटल आवास सेवा के पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरी के समक्ष घोषणा कि परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

संदर्भ संख्या-

दिनांक: -

1. मैं/हम ……………………. (व्यक्ति का नाम) एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ………(पता)…… पर स्थित परिसर वित्तीय वर्ष ………(वाइवाइवाइवाइ-वाइवाइ)……… के लिए 'विशिष्ट परिसर' नहीं होगा।

2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा उपरोक्त (1) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण वित्तीय वर्ष पर लागू होगी और बाद के वित्तीय वर्षों पर भी लागू होती रहेगी, जब तक कि मैं/हम **अनुबंध** VII में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' है।

विधिक नाम: -

जीएसटीआईएन/एआरएन: -

पैन नंबर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

नोट:

1. किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त घोषणा जो यह घोषित करती है कि परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है, पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च से पहले दाखिल की जाएगी।

2. उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।"

[फा. सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017 -केन्द्रीय कर (दर) को सा.का.नि. 690(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2024- केन्द्रीय कर (दर), जो भारत के राजपत्र में सा.का.नि 617(अ), दिनांक 8 अक्तूबर, 2024, के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 05/2025- Central Tax (Rate)

G.S.R. 38(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3), and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification number 11/2017-Central Tax (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), *vide* number G.S.R. 690(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in paragraph 4 relating to *Explanation*, with effect from the 1st day of April, 2025,-

(a) clause (xxxv) shall be omitted;

(b) for clause (xxxvi), the following clause shall be substituted, namely:-

" (xxxvi) "Specified premises", for a financial year, means,-

(a) a premises from where the supplier has provided in the preceding financial year, 'hotel accommodation' service having the value of supply of any unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent; or

(b) a premises for which a registered person supplying 'hotel accommodation' service has filed a declaration, on or after the 1st of January and not later than 31st of March of the preceding financial year, declaring the said premises to be a specified premises; or

(c) a premises for which a person applying for registration has filed a declaration, within fifteen days of obtaining acknowledgement for the registration application, declaring the said premises to be a specified premises;";

(ii) after Annexure VI, the following Annexures shall be inserted, namely:—

"Annexure VII

OPT-IN DECLARATION FOR REGISTERED PERSON

(See para 4(xxxvi))

Declaration by a registered person supplying hotel accommodation service before the jurisdictional GST authority declaring the premises to be a 'specified premises'.

Reference No.-

Date: -

1. I/We …………………… (name of Person) do hereby declare that the premises at ……(address)…… shall be a 'specified premises' for the Financial Year ………(yyyy-yy)……….

2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the entire Financial Year specified in (1) above and will continue to apply to subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises as not a ‘specified premises’ by filing a declaration in the format specified at Annexure IX.

Legal Name: -
GSTIN: -
PAN No.
Name of Authorized Signatory:
Signature of Authorized Signatory:
(Dated acknowledgment)

Note:

1. The above declaration, declaring the premises as a ‘specified premises’ for a Financial Year, shall be filed by a registered person on or after 1st of January of the preceding Financial Year but not later than 31st of March of the preceding Financial Year.
2. The above declaration shall have to be filed separately for each premises.

Annexure VIII

OPT-IN DECLARATION FOR PERSON APPLYING FOR REGISTRATION

(See para 4(xxxvi))

Declaration by a person applying for registration before the jurisdictional GST authority declaring the premises to be a ‘specified premises’.

Reference No.-
Date: -

1. I/We ……………………. (name of Person) have applied for registration *vide* ARN No. ………………………. and do hereby declare that the premises at ……(address)…… shall be a ‘specified premises’ from the effective date of registration till the end of the Financial Year.
2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises as not a ‘specified premises’ by filing a declaration in the format specified at Annexure IX.

Legal Name: -
ARN: -
PAN No.
Name of Authorized Signatory:
Signature of Authorized Signatory:
(Dated acknowledgment)
Note: The above declaration shall have to be filed separately for each premises.

Annexure IX

OPT-OUT DECLARATION

(See para 4(xxxvi))

Declaration by a registered supplier of hotel accommodation service before the jurisdictional GST authority declaring the premises as not a ‘specified premises’.

Reference No.-
Date: -

1. I/We ……………………. (name of Person) do hereby declare that the premises at ………(address)…… shall not be a ‘specified premises’ for the Financial Year ………(yyyy-yy)………
2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the entire Financial Year specified in (1) above and will continue to apply to subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises to be a ‘specified premises’ by filing a declaration in the format specified at Annexure VII.

Legal Name: -
GSTIN/ARN: -
PAN No.
Name of Authorized Signatory:
Signature of Authorized Signatory:
(Dated acknowledgment)

Note:

1. The above declaration, declaring the premises as not a ‘specified premises’, for a Financial Year, shall be filed on or after 1st of January of the preceding Financial Year but not later than 31st of March of the preceding Financial Year.

2. The above declaration shall have to be filed separately for each premises.”.

[F. No. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: -The principal notification number 11/2017 -Central Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 690 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* notification number 07/2024-Central Tax (Rate) published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 617(E), dated the 8th October, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 05/2025- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 39(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (1), (3) और (4), धारा 6 की उप-धारा (1), (3) और (4) तथा धारा 20 के खंड (iii), (iv) और (xxv), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर), जिसे सा.का.नि 683(अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) स्पष्टीकरण से संबंधित पैरा 5 में, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, -

(क) खंड (xxxv) को हटा दिया जाएगा;

(ख) खंड (xxxvi) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ (xxxvi) किसी वित्तीय वर्ष के लिए “विशिष्ट परिसर” से अभिप्रेत है,-

(क) ऐसा परिसर जहां से आपूर्तिकर्ता ने पिछले वित्तीय वर्ष में ऐसी ‘होटल आवास’ सेवा प्रदान की है, जिसमें आवास की किसी इकाई की आपूर्ति का मूल्य प्रति इकाई प्रति दिन सात हजार पांच सौ रुपये से अधिक या समतुल्य है; या

(ख) ऐसा परिसर जिसके लिए ‘होटल आवास’ सेवा प्रदान करने वाले पंजीकृत व्यक्ति ने पिछले वित्तीय वर्ष की पहली जनवरी या उसके बाद तथा 31 मार्च से पूर्व उक्त परिसर को विशिष्ट परिसर घोषित किया है; या

(ग) ऐसा परिसर जिसके लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति ने पंजीकरण आवेदन के लिए पावती प्राप्त करने के पंद्रह दिनों के भीतर उक्त परिसर को विशिष्ट परिसर घोषित किया है;”;

(ii) अनुबंध VI के पश्चात् निम्नलिखित अनुबंध अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"अनुबंध VII

पंजीकृत व्यक्ति के लिए ऑप्ट-इन घोषणा

(खंड 4(xxxvi) देखें)

होटल आवास सेवा प्रदान करने वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरी के समक्ष परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने की घोषणा।

संदर्भ संख्या-

दिनांक: -

1. मैं/हम ……………… (व्यक्ति का नाम) यह घोषणा करते हैं कि …………(पता)………………. पर स्थित परिसर वित्तीय वर्ष ……………(वाइवाइवाइवाइ-वाइवाइ)…………. के लिए 'विशिष्ट परिसर' होगा।
2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा ऊपर (1) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण वित्तीय वर्ष पर लागू होगी और बाद के वित्तीय वर्षों पर भी लागू होती रहेगी, जब तक कि मैं/हम **अनुबंध** IX में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

विधिक नाम: -

जीएसटीआईएन: -

पैन नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

नोट:

1. किसी वित्तीय वर्ष के लिए परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने वाली उपरोक्त घोषणा, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च से पहले दाखिल की जाएगी।
2. उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।

अनुबंध VIII

पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए ऑप्ट-इन घोषणा

(खंड 4(xxxvi) देखें)

क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरी के समक्ष पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने की घोषणा।

संदर्भ संख्या-

दिनांक: -

1. मैं/हम …………………. (व्यक्ति का नाम) ने एआरएन संख्या …………………. के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ………(पता)………… पर स्थित परिसर पंजीकरण की प्रभावी तिथि से वित्तीय वर्ष के अंत तक 'विशिष्ट परिसर' होगा।
2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा आगामी वित्तीय वर्षों पर भी लागू होगी, जब तक कि मैं/हम **अनुबंध** IX में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

विधिक नाम: -

एआरएन: -

पैन नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

नोट: उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।

अनुबंध IX

ऑप्ट-आउट घोषणा

(खंड 4 (xxxvi) देखें)

होटल आवास सेवा के पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरी के समक्ष घोषणा कि परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

संदर्भ संख्या-

दिनांक: -

1. मैं/हम ………………… (व्यक्ति का नाम) एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ………(पता)…… पर स्थित परिसर वित्तीय वर्ष ………(वाइवाइवाइवाइ-वाइवाइ)……… के लिए 'विशिष्ट परिसर' नहीं होगा।
2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा उपरोक्त (1) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण वित्तीय वर्ष पर लागू होगी और बाद के वित्तीय वर्षों पर भी लागू होती रहेगी, जब तक कि मैं/हम **अनुबंध VII** में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' है।

विधिक नाम: -

जीएसटीआईएन/एआरएन: -

पैन नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

नोट:

1. किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त घोषणा जो यह घोषित करती है कि परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है, पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च से पहले दाखिल की जाएगी।
2. उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।"

[फा. सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 8/2017 - एकीकृत कर (दर) को सा.का.नि. 683(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2024- एकीकृत कर (दर), जिसे भारत के राजपत्र में सा.का.नि 619(अ), दिनांक 8 अक्तूबर, 2024, के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 05/2025- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 39(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clauses (iii), (iv) and (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification number 8/2017-Integrated Tax (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 683(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(ii) in paragraph 5 relating to *Explanation*, with effect from the 1st day of April, 2025,-

(a) clause (xxxv) shall be omitted;

(b) for clause (xxxvi) the following shall be substituted, namely:-

" (xxxvi) "Specified premises", for a financial year, means,-

(a) a premises from where the supplier has provided in the preceding financial year, 'hotel accommodation' service having the value of supply of any unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent; or

(b) a premises for which a registered person supplying 'hotel accommodation' service has filed a declaration, on or after the 1st of January and not later than 31st of March of the preceding financial year, declaring the said premises to be a specified premises; or

(c) a premises for which a person applying for registration has filed a declaration, within fifteen days of obtaining acknowledgement for the registration application, declaring the said premises to be a specified premises;";

(ii) after Annexure VI, the following Annexures shall be inserted, namely:-

"Annexure VII

OPT-IN DECLARATION FOR REGISTERED PERSON

(See para 4(xxxvi))

Declaration by a registered person supplying hotel accommodation service before the jurisdictional GST authority declaring the premises to be a 'specified premises'.

Reference No.-
Date: -

1. I/We ……………………. (name of Person) do hereby declare that the premises at ……(address)…… shall be a 'specified premises' for the Financial Year ………(yyyy-yy)……….
2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the entire Financial Year specified in (1) above and will continue to apply to subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises as not a 'specified premises' by filing a declaration in the format specified at Annexure IX.

Legal Name: -
GSTIN: -
PAN No.
Name of Authorized Signatory:
Signature of Authorized Signatory:
(Dated acknowledgment)

Note:

1. The above declaration, declaring the premises as a 'specified premises' for a Financial Year, shall be filed by a registered person on or after 1st of January of the preceding Financial Year but not later than 31st of March of the preceding Financial Year.
2. The above declaration shall have to be filed separately for each premises.

Annexure VIII

OPT-IN DECLARATION FOR PERSON APPLYING FOR REGISTRATION

(See para 4(xxxvi))

Declaration by a person applying for registration before the jurisdictional GST authority declaring the premises to be a 'specified premises'.

Reference No.-
Date: -

1. I/We …………………… (name of Person) have applied for registration vide ARN No. ………………………. and do hereby declare that the premises at ……(address)…… shall be a 'specified premises' from the effective date of registration till the end of the Financial Year.

2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises as not a 'specified premises' by filing a declaration in the format specified at Annexure IX.

Legal Name: -
ARN: -
PAN No.
Name of Authorized Signatory:
Signature of Authorized Signatory:
(Dated acknowledgment)
Note: The above declaration shall have to be filed separately for each premises.

Annexure IX

OPT-OUT DECLARATION
(See para 4(xxxvi))

Declaration by a registered supplier of hotel accommodation service before the jurisdictional GST authority declaring the premises as not a 'specified premises'.

Reference No.-
Date: -

1. I/We ……………………. (name of Person) do hereby declare that the premises at ………(address)…… shall not be a 'specified premises' for the Financial Year ………(yyyy-yy)………
2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the entire Financial Year specified in (1) above and will continue to apply to subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises to be a 'specified premises' by filing a declaration in the format specified at Annexure VII.

Legal Name: -
GSTIN/ARN: -
PAN No.
Name of Authorized Signatory:
Signature of Authorized Signatory:
(Dated acknowledgment)

Note:

1. The above declaration, declaring the premises as not a 'specified premises', for a Financial Year, shall be filed on or after 1st of January of the preceding Financial Year but not later than 31st of March of the preceding Financial Year.
2. The above declaration shall have to be filed separately for each premises." .

[F. No. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note:-The principal notification number 8/2017 - Integrated Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 683 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* notification no. 07/2024- Integrated Tax (Rate) published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 619(E), dated the 8th October, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 05/2025- संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 40(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5), धारा 16 की उप-धारा (1) और धारा 148 के साथ पठित संघ राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (1), (3) और (4), धारा 8 की उप-धारा (1) तथा धारा 21 के खंड (iv), (v) और खंड (xxvii), द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017- संघ राज्य कर (दर), जिसे सा.का.नि 702 (अ), दिनांक 28, जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) स्पष्टीकरण से संबंधित पैरा 4 में, 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी, -

(क) खंड (xxxv) को हटा दिया जाएगा;

(ख) खंड (xxxvi) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

" (xxxvi) किसी वित्तीय वर्ष के लिए "विशिष्ट परिसर" से अभिप्रेत है,-

(क) ऐसा परिसर जहां से आपूर्तिकर्ता ने पिछले वित्तीय वर्ष में ऐसी 'होटल आवास' सेवा प्रदान की है, जिसमें आवास की किसी इकाई की आपूर्ति का मूल्य प्रति इकाई प्रति दिन सात हजार पांच सौ रुपये से अधिक या समतुल्य है; या

(ख) ऐसा परिसर जिसके लिए 'होटल आवास' सेवा प्रदान करने वाले पंजीकृत व्यक्ति ने पिछले वित्तीय वर्ष की पहली जनवरी या उसके बाद तथा 31 मार्च से पूर्व उक्त परिसर को विशिष्ट परिसर घोषित किया है; या

(ग) ऐसा परिसर जिसके लिए पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति ने पंजीकरण आवेदन के लिए पावती प्राप्त करने के पंद्रह दिनों के भीतर उक्त परिसर को विशिष्ट परिसर घोषित किया है;";

(ii) अनुबंध VI के पश्चात् निम्नलिखित अनुबंध अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"अनुबंध VII

पंजीकृत व्यक्ति के लिए ऑप्ट-इन घोषणा

(पैरा 4(xxxvi) देखें)

होटल आवास सेवा प्रदान करने वाले पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरी के समक्ष परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने की घोषणा।

संदर्भ संख्या-

दिनांक: -

1. मैं/हम …………………. (व्यक्ति का नाम) यह घोषणा करते हैं कि …………(पता)……………..… पर स्थित परिसर वित्तीय वर्ष ……………(वाइवाइवाइवाइ-वाइवाइ)…………. के लिए 'विशिष्ट परिसर' होगा।

2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा ऊपर (1) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण वित्तीय वर्ष पर लागू होगी और बाद के वित्तीय वर्षों पर भी लागू होती रहेगी, जब तक कि मैं/हम **अनुबंध** IX में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

विधिक नाम: -

जीएसटीआईएन: -

पैन नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

नोट:

1. किसी वित्तीय वर्ष के लिए परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने वाली उपरोक्त घोषणा, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च से पहले दाखिल की जाएगी।

2. उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।

अनुबंध VIII

पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए ऑप्ट-इन घोषणा

(पैरा 4(xxxvi) देखें)

क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरी के समक्ष पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा परिसर को 'विशिष्ट परिसर' घोषित करने की घोषणा।

संदर्भ संख्या-

दिनांक: -

1. मै/हम …………………. (व्यक्ति का नाम) ने एआरएन संख्या …………………. के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन किया है और मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ………(पता)………… पर स्थित परिसर पंजीकरण की प्रभावी तिथि से वित्तीय वर्ष के अंत तक 'विशिष्ट परिसर' होगा।

2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा आगामी वित्तीय वर्षों पर भी लागू होगी, जब तक कि मैं/हम **अनुबंध** IX में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

विधिक नाम: -

एआरएन: -

पैन नंबर

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:

(दिनांकित पावती)

नोट: उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।

अनुबंध IX

ऑप्ट-आउट घोषणा

(पैरा 4 (xxxvi) देखें)

होटल आवास सेवा के पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा क्षेत्राधिकार वाले जीएसटी प्राधिकरी के समक्ष घोषणा कि परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है।

संदर्भ संख्या-

दिनांक: -

1. मैं/हम ……………………. (व्यक्ति का नाम) एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ………(पता)…… पर स्थित परिसर वित्तीय वर्ष ………(वाइवाइवाइवाइ-वाइवाइ)……… के लिए 'विशिष्ट परिसर' नहीं होगा।
2. इसके अलावा, मैं/हम समझते हैं कि उक्त घोषणा उपरोक्त (1) में विनिर्दिष्ट संपूर्ण वित्तीय वर्ष पर लागू होगी और बाद के वित्तीय वर्षों पर भी लागू होती रहेगी, जब तक कि मैं/हम **अनुबंध VII** में विनिर्दिष्ट प्रारूप में घोषणा दाखिल करके यह घोषित करते हैं कि उक्त परिसर 'विशिष्ट परिसर' है।

विधिक नाम: -
जीएसटीआईएन/एआरएन: -
पैन नंबर
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम:
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर:
(दिनांकित पावती)
नोट:

1. किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त घोषणा जो यह घोषित करती है कि परिसर 'विशिष्ट परिसर' नहीं है, पिछले वित्तीय वर्ष की 1 जनवरी को या उसके बाद लेकिन पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च से पहले दाखिल की जाएगी।
2. उपरोक्त घोषणा प्रत्येक परिसर के लिए अलग से दाखिल करनी होगी।

[फा. सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017 - संघ राज्य कर (दर) को सा.का.नि. 702(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 07/2024- संघ राज्य कर (दर), जो भारत के राजपत्र में सा.का.नि 618(अ), दिनांक 8 अक्तूबर, 2024, के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 05/2025- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 40(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (3) and (4) of section 7, sub-section (1) of section 8, clause (iv), clause (v) and clause (xxvii) of section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification number 11/2017- Union Territory Tax (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 702(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in paragraph 4 relating to *Explanation,* with effect from the 1st day of April, 2025,-

(a) clause (xxxv) shall be omitted;

(b) for clause (xxxvi), the following clause shall be substituted, namely:-

"(xxxvi) "Specified premises", for a financial year, means,-

(a) a premises from where the supplier has provided in the preceding financial year, 'hotel accommodation' service having the value of supply of any unit of accommodation above seven thousand five hundred rupees per unit per day or equivalent; or

(b) a premises for which a registered person supplying 'hotel accommodation' service has filed a declaration, on or after the 1st of January and not later than 31st of March of the preceding financial year, declaring the said premises to be a specified premises; or

(c) a premises for which a person applying for registration has filed a declaration, within fifteen days of obtaining acknowledgement for the registration application, declaring the said premises to be a specified premises;";

(ii) after Annexure VI, the following Annexures shall be inserted, namely:-

"Annexure VII

OPT-IN DECLARATION FOR REGISTERED PERSON

(See para 4(xxxvi))

Declaration by a registered person supplying hotel accommodation service before the jurisdictional GST authority declaring the premises to be a 'specified premises'.

Reference No.-

Date: -

1. I/We ……………………. (name of Person) do hereby declare that the premises at ……(address)…… shall be a 'specified premises' for the Financial Year ………(yyyy-yy)……….
2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the entire Financial Year specified in (1) above and will continue to apply to subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises as not a 'specified premises' by filing a declaration in the format specified at Annexure IX.

Legal Name: -

GSTIN: -

PAN No.

Name of Authorized Signatory:

Signature of Authorized Signatory:

(Dated acknowledgment)

Note:

1. The above declaration, declaring the premises as a 'specified premises' for a Financial Year, shall be filed by a registered person on or after 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year.
2. The above declaration shall have to be filed separately for each premises.

Annexure VIII

OPT-IN DECLARATION FOR PERSON APPLYING FOR REGISTRATION

(See para 4(xxxvi))

Declaration by a person applying for registration before the jurisdictional GST authority declaring the premises to be a 'specified premises'.

Reference No.-

Date: -

1. I/We ……………………. (name of Person) have applied for registration *vide* ARN No. ………………………. and do hereby declare that the premises at ……(address)…… shall be a 'specified premises' from the effective date of registration till the end of the Financial Year.
2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises as not a 'specified premises' by filing a declaration in the format specified at Annexure IX.

Legal Name: -

ARN: -

PAN No.

Name of Authorized Signatory:

Signature of Authorized Signatory:

(Dated acknowledgment)

Note: The above declaration shall have to be filed separately for each premises.

Annexure IX

OPT-OUT DECLARATION

(See para 4(xxxvi))

Declaration by a registered supplier of hotel accommodation service before the jurisdictional GST authority declaring the premises as not a 'specified premises'.

Reference No.-

Date: -

1. I/We ……………………. (name of Person) do hereby declare that the premises at ………(address)…… shall not be a 'specified premises' for the Financial Year ………(yyyy-yy)………
2. Further, I/We understand the said declaration will apply to the entire Financial Year specified in (1) above and will continue to apply to subsequent Financial Years also, unless I/We declare the premises to be a 'specified premises' by filing a declaration in the format specified at Annexure VII.

Legal Name: -

GSTIN/ARN: -

PAN No.

Name of Authorized Signatory:

Signature of Authorized Signatory:

(Dated acknowledgment)

Note:

1. The above declaration, declaring the premises as not a 'specified premises', for a Financial Year, shall be filed on or after 1st January of the preceding Financial Year but not later than 31st March of the preceding Financial Year.
2. The above declaration shall have to be filed separately for each premises." .

[F. No. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: -The principal notification number 11/2017 -Union Territory Tax (Rate), was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 702(E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* notification number 07/2024-Union Territory Tax (Rate)published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 618(E), dated the 8th October, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 06/2025- केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 41(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) और (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर), जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्या 691(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

(i) उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(क) क्रम संख्या 25क के समक्ष, कॉलम (3) में, जहां कहीं भी शब्द "पारेषण और वितरण" आते हैं, उनके स्थान पर "पारेषण या वितरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) क्रम संख्या 36क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यायें और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"36ख	शीर्षक 9971 या शीर्षक 9991	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 164ख के अंतर्गत गठित मोटर यान दुर्घटना निधि द्वारा प्रदान की जाने वाली वो बीमा सेवाएं जो बीमाकर्ताओं द्वारा मोटर वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा के लिए एकत्रित प्रीमियम में से योगदान के विरुद्ध प्रदान की गयी हैं	शून्य	शून्य"

(ग) क्रम संख्या 69 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ङ) के पश्चात, निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(च) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित कोई प्रशिक्षण भागीदार,"

(ii) उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में,

(क) अप्रैल, 2025 के पहले दिन से प्रभावी मद (ब) का लोप किया जाएगा;

(ख) मद (यञ) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(यञक) "बीमाकर्ता" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 की उपधारा (9) में दिया गया है।"।

[फा. सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर (दर) सा.का.नि. संख्या 691(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 08/2024-केन्द्रीय कर (दर), जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. संख्या 620(अ), दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 के तहत प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 06/2025- Central Tax (Rate)

G.S.R. 41(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification number 12/2017-Central Tax (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 691(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

(i) In the said notification, in the table, -

(A) against serial number 25A, in column (3), for the words "transmission and distribution" wherever occurring, the words "transmission or distribution" shall be substituted;

(B) after serial number 36A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"36B	Heading 9971 or Heading 9991	Services of insurance provided by the Motor Vehicle Accident Fund, constituted under section 164B of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), against contributions made by insurers out of the premiums collected for third party insurance of motor vehicles.	Nil	Nil"

(C) against serial number 69, in the entry in column (3), after item (e), the following item shall be inserted, namely :-

"(f) a training partner approved by the National Skill Development Corporation,"

(ii) in paragraph 2 of the said notification,-

(A) item (w) shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2025;

(B) after item (zj), the following item shall be inserted, namely: -

"(zja) "insurer" has the same meaning as assigned to it in sub-section (9) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).".

[F. No. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note:- The principal notification number 12/2017 - Central Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 691 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended *vide* notification number 08/2024-Central Tax (Rate) published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 620(E), dated the 8th October, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 06/2025- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 42(अ).—केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148, के साथ पठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनिमय 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) और (4) धारा 6 की उप-धारा (1) और धारा 20 के खंड (XXV) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर), जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्या 684(अ), दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

(i) उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(क) क्रम संख्या 26क के समक्ष, कॉलम (3) में, जहां कहीं भी शब्द "पारेषण और वितरण" आते हैं, उनके स्थान पर "पारेषण या वितरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) क्रम संख्या 37क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यायें और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"37ख	शीर्षक 9971 या शीर्षक 9991	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 164ख के अंतर्गत गठित मोटर वाहन दुर्घटना निधि द्वारा मोटर वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा के लिए एकत्रित प्रीमियम में से बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए अंशदान के विरुद्ध प्रदान की जाने वाली बीमा सेवाएं।	शून्य	शून्य"

(ग) क्रम संख्या 72 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ड़) के पश्चात, निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(च) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण भागीदार,"

(ii) उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में,

(क) अप्रैल, 2025 के पहले दिन से प्रभावी मद (ब) का लोप किया जाएगा;

(ख) मद (यञ) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(यञक) "बीमाकर्ता" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 की उपधारा (9) में इसे दिया गया है।"।

[फा. सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट : - प्रधान अधिसूचना संख्या 09/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. संख्या 684(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 08/2024-एकीकृत कर (दर), जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. संख्या 622(अ), दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 के तहत प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 06/2025- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 42(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 5, sub-section (1) of section 6 and clause (xxv) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification number 9/2017-Integrated Tax (Rate), of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 684(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

(i) In the said notification, in the table, -

(A) against serial number 26A, in column (3), for the words "transmission and distribution" wherever occurring, the words "transmission or distribution" shall be substituted;

(B) after serial number 37A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"37B	Heading 9971 or Heading 9991	Services of insurance provided by the Motor Vehicle Accident Fund, constituted under section 164B of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), against contributions made by insurers out of the premiums collected for third party insurance of motor vehicles.	Nil	Nil"

(C) against serial number 72, in the entry in column (3), after item (e), the following item shall be inserted, namely :-

"(f) a training partner approved by the National Skill Development Corporation,".

(ii) in paragraph 2 of the said notification,-

(A) item (w) shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2025;

(B) after item (zj), the following item shall be inserted, namely: -

"(zja) "insurer" has the same meaning as assigned to it in sub-section (9) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).".

[F. No. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note:- The principal notification number 9/2017 -Integrated Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 684 (E), dated the 28th June, 2017 and last amended *vide* notification number 08/2024 -Integrated Tax (Rate) published in the Gazette of India Extraordinary, *vide* number G.S.R. 622(E), dated the 8th October, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 06/2025- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 43(अ).—केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के साथ पठित, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप-धारा (3) और (4), धारा 8 की उप-धारा (1) और धारा 21 के खंड (iv) और खंड (xxvii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 703(अ), दिनांक 28 जून, 2017, द्वारा प्रकाशित किया गया था, को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित और संशोधन करती है। अर्थात्: -

(i) उक्त अधिसूचना में, सारणी में, -

(क) क्रम संख्या 25क के समक्ष, कॉलम (3) में, जहां कहीं भी शब्द "पारेषण और वितरण" आते हैं, उनके स्थान पर "पारेषण या वितरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) क्रम संख्या 36क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यायें और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"36ख	शीर्षक 9971 या शीर्षक 9991	मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 164ख के अंतर्गत गठित मोटर वाहन दुर्घटना निधि द्वारा मोटर वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा के लिए एकत्रित प्रीमियम में से बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए अंशदान के विरुद्ध प्रदान की जाने वाली बीमा सेवाएं।	शून्य	शून्य"

(ग) क्रम संख्या 69 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, मद (ङ) के पश्चात, निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"(च) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण भागीदार,"

(ii) उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में,

(क) अप्रैल, 2025 के पहले दिन से प्रभावी मद (ब) का लोप किया जाएगा;

(ख) मद (यञ) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(यञक) "बीमाकर्ता" का वही अर्थ है जो बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 2 की उपधारा (9) में दिया गया है।"।

[फा. सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) सा.का.नि. संख्या 703(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित ककी गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 08/2024- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में, सा.का.नि. संख्या 621(अ), दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 के तहत प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 06/2025- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 43(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 7, sub-section (1) of section 8 and clause (iv) and clause (xxvii) of section 21 of the Union territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment further to amend the notification number 12/2017- Union Territory Tax (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 703(E), dated the 28th June, 2017, namely: -

(i) In the said notification, in the table, -

(A) against serial number 25A, in column (3), for the words "transmission and distribution" wherever occurring, the words "transmission or distribution" shall be substituted;

(B) after serial number 36A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"36B	Heading 9971 or Heading 9991	Services of insurance provided by the Motor Vehicle Accident Fund, constituted under section 164B of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), against contributions made by insurers out of the premiums collected for third party insurance of motor vehicles.	Nil	Nil"

(C) against serial number 69, in the entry in column (3), after item (e), the following item shall be inserted, namely :-

"(f) a training partner approved by the National Skill Development Corporation,"

(ii) in paragraph 2 of the said notification,-

(A) item (w) shall be omitted with effect from the 1st day of April, 2025;

(B) after item (zj), the following item shall be inserted, namely: -

"(zja) "insurer" has the same meaning as assigned to it in sub-section (9) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938).".

[F. No. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 12/2017 - Union Territory Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended *vide* notification number 08/2024-Union Territory Tax (Rate) published in the Gazette of India Extraordinary, *vide* number G.S.R. 621(E), dated the 8th October, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 07/2025-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 44(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017-केन्द्रीय कर (दर), जिसे सा.का.नि. 692(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(क) क्रम संख्या 4 के समक्ष, स्तंभ (3) में, "कोई भी व्यक्ति" शब्दों के पश्चात, "जो कि निगमित निकाय नहीं है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) क्रम संख्या 5कख के समक्ष, स्तंभ (4) में, "कोई भी पंजीकृत व्यक्ति" शब्दों के पश्चात, "जो कि संयोजन उद्ग्रहण के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाला व्यक्ति नहीं है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017-केन्द्रीय कर (दर) को सा.का.नि. 692(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 9/2024-केन्द्रीय कर (दर), जिसे सा.का.नि. 623(अ), दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 07/2025- Central Tax (Rate)

G.S.R. 44(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification number 13/2017-Central Tax (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 692(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table,-

(A) against serial number 4, in column (3), after the words “Any person”, the words “other than a body corporate” shall be inserted.

(B) against serial number 5AB, in column (4), after the words “Any registered person”, the words “other than a person who has opted to pay tax under composition levy” shall be inserted.

[F. No. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: -The principal notification number 13/2017 -Central Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 692 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended *vide* notification no. 09/2024 -Central Tax (Rate) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 623(E), dated the 08th October, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 07/2025- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 45(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2017- एकीकृत कर (दर), जिसे सा.का.नि. 685(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 5 के समक्ष, स्तंभ (3) में, “कोई भी व्यक्ति” शब्दों के पश्चात, “जो कि निगमित निकाय नहीं है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 10/2017- एकीकृत कर (दर) को सा.का.नि. 685(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 09/2024- एकीकृत कर (दर), जिसे सा.का.नि. 625(अ), दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 07/2025- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 45(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification number 10/2017-Integrated Tax (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 685(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 5, in column (3), after the words “Any person”, the words “other than a body corporate” shall be inserted.

[F. No. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note:-The principal notification number10/2017 -Integrated Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 685(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended *vide* notification no. 09/2024 -Integrated Tax (Rate) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub-section (i) vide number G.S.R. 625(E), dated the 08th October, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 07/2025- संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 46(अ).—संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017- संघ राज्य कर (दर), जिसे सा.का.नि. 704(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

(क) क्रम संख्या 4 के समक्ष, स्तंभ (3) में, “कोई भी व्यक्ति” शब्दों के पश्चात, “जो कि निगमित निकाय नहीं है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) क्रम संख्या 5कख के समक्ष, स्तंभ (4) में, “कोई भी पंजीकृत व्यक्ति” शब्दों के पश्चात, “जो कि संयोजन उद्ग्रहण के अंतर्गत कर का भुगतान करने का विकल्प चुनने वाला व्यक्ति नहीं है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2017- संघ राज्य कर (दर), को सा.का.नि. 704(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 9/2024- संघ राज्य कर (दर), जिसे सा.का.नि. 624(अ), दिनांक 8 अक्तूबर, 2024 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 07/2025- Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 46(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification number 13/2017 - Union Territory (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 704(E), dated the 28th June, 2017, namely: -

In the said notification, in the Table,-

(A) against serial number 4, in column (3), after the words "Any person", the words "other than a body corporate" shall be inserted.

(B) against serial number 5AB, in column (4), after the words "Any registered person", the words "other than a person who has opted to pay tax under composition levy" shall be inserted.

[F. No. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: -The principal notification number 13/2017 -Union Territory Tax (Rate) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) , *vide* number G.S.R. 704(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended *vide* notification no. 09/2024 -Union Territory Tax (Rate) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 624(E), dated the 08th October, 2024.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 08/2025-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 47(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2017-केन्द्रीय कर (दर), जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्या 696(अ) दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

   " "विशिष्ट परिसर" का वही अर्थ है जो अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के पैराग्राफ 4 के मद (xxxvi) में दिया गया है।"

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2025 से लागू होगी ।

[फा. सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 17/2017-केंद्रीय कर (दर) को सा.का.नि. संख्या 696(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2023- केंद्रीय कर (दर), जिसे सा.का.नि. संख्या 771(अ), दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 08/2025-Central Tax (Rate)

G.S.R. 47(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification number 17/2017- Central Tax (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 696(E) dated the 28th June, 2017, namely:-

1. In the said notification, in the *Explanation*, for item (c), the following shall be substituted, namely,-

   " "specified premises" has the same meaning as assigned to it in clause (xxxvi) of paragraph 4 of notification number 11/2017-Central Tax (Rate) dated 28.06.2017.".

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2025.

[F. No. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: -The principal notification number 17/2017 -Central Tax (Rate), was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 696(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification number 16/2023-Central Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 771(E), dated 19th October, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 08/2025-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 48(अ).—एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 14/2017- एकीकृत कर (दर), जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्या 689(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

   " "विशिष्ट परिसर" का वही अर्थ है जो अधिसूचना संख्या 08/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के पैराग्राफ 4 के खंड (xxxvi) में दिया गया है।"

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2025 से लागू होगी ।

[फा. सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 14/2017- एकीकृत कर (दर), को सा.का.नि. संख्या 689(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 19/2023- एकीकृत कर (दर), जिसे सा.का.नि. संख्या 772(अ), दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 08/2025- Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 48(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification number 14/2017-Integrated Tax (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 689(E) dated the 28th June, 2017, namely:-

1. In the said notification, in the Explanation, for item (c), the following shall be substituted, namely,-

   " "specified premises" has the same meaning as assigned to it in clause (xxxvi) of paragraph 5 of notification No. 08/2017-Integrated Tax (Rate) dated 28.06.2017.".

2. This notification shall come into force with effect from 1st day of April, 2025.

[F. No. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: The principal notification number14/2017 –Integrated Tax (Rate), was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 689(E), dated the 28th June, 2017, and was last amended by notification number 19/2023 –Integrated Tax (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 772(E), dated 19th October, 2023.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2025

सं. 08/2025-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 49(अ).—संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 17/2017-संघ राज्य क्षेत्र (दर), जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्या 708(अ) दिनांक 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण में, मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

   " "विशिष्ट परिसर" का वही अर्थ है जो अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्य क्षेत्र कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के पैराग्राफ 4 के खंड (xxxvi) में दिया गया है।"

2. यह अधिसूचना 01 अप्रैल, 2025 से लागू होगी ।

[फा. सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 17/2017-संघ राज्य क्षेत्र (दर), को सा.का.नि. संख्या 708(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2023-संघ राज्य क्षेत्र (दर), जिसे सा.का.नि. संख्या 773(अ), दिनांक 19 अक्तूबर, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2025

No. 08/2025-Union Territory (Rate)

G.S.R. 49(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification number 17/2017-Union Territory (Rate), of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 708(E) dated the 28th June, 2017, namely: -

1. In the said notification, in the *Explanation*, for item (c), the following shall be substituted, namely,-

   " "specified premises" has the same meaning as assigned to it in clause (xxxvi) of paragraph 4 of notification number 11/2017-Union Territory Tax (Rate) dated 28.06.2017.".

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2025.

[F. No. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

MD. ADIL ASHRAF, Under Secy.

Note: The principal notification number 17/2017 -Union Territory (Rate), was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 708 (E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification number 16/2023-Union Territory (Rate), published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 773(E), dated 19th October, 2023.

SAG blog

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA